

प्रेस विज्ञप्ति

17वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद समाहर्ता, दीव ने प्रेस ब्रिफिंग की

दीव, दिनांक : 10/03/2019 - आज मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तारीखों की घोषणा के बाद दीव समाहर्ता श्री हेमंत कुमार, भाप्रसे ने मीडिया के सभी पत्रकारों को आमंत्रित कर संक्षिप्त जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुल 543 लोकसभा सीटों में चुनाव का आयोजन किया जा रहा है और यह 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा। मतगणना 23 मई, 2019 को आयोजित होगी। इसलिए आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। पत्रकारों से कहा गया कि वे पेड न्यूज के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें। राजनीतिक दलों द्वारा वितरित किये जाने वाले नकद और शराब आदि पर भी सबका ध्यान रहना अपेक्षित है। पत्रकार अपने पहचान पत्र के लिए निर्धारित अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। पत्रकारों को यह भी ध्यान रखना है कि वे निरपेक्ष होकर काम करें और किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन न करें।

निर्वाचन के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए सी-विजिल साफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है, जिसे एण्ड्रॉयड सुविधा वाले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है और शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल लाऊडस्पीकर बजाता है, उसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है, तो सी-विजिल पर शिकायत कर सकते हैं या शिकायत कक्ष में भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोजित होने के 48 घण्टे पहले लाऊडस्पीकर को बन्द किया जाना चाहिए।

इस बार नामांकन करते समय प्रपत्र-26 में सुधार किया गया है। इसके साथ साथ तहत किसी भी उम्मीदवार को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक विवरण के बारे में टेलीविजन पर और व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में कम से कम 03 बार प्रसारित करना है। उम्मीदवार अगर जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, तो भारत चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

समाहर्ता महोदय ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों में जीवन्त प्रसारण होगा। दीव में भी नामांकन पत्र स्वीकार किये जाएंगे, परन्तु नामांकन के समय 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई मीडिया, राजनीतिक पार्टियों को आने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन 4 अप्रैल को अपराह्न 03:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। 5 अप्रैल को इसकी जॉच प्रक्रिया की जाएगी तथा किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल होगी। 23 अप्रैल को निर्वाचन की तिथि है। दीव में करीब 38 हजार मतदाता हैं एवं 55 मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, दिव्यांगों के लिए रैम्प सुविधा, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक मतदान पहचान पत्र हेतु नये आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। इस बार बैलट यूनिट में उम्मीदवार का फोटो भी रहेगा।

अंत में समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताते हुए इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में बताया । बैठक में उपस्थित सभी नोडल अधिकारियों ने अपना परिचय देते हुए उनके कार्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराया । आखिरकार उन्होंने निष्पक्ष और निर्वाध निर्वाचन के लिए सभी का आह्वान किया और सहयोग की अपेक्षा की ।